फर्द अहकाम

(नियम 26)

[illegible] अदालत उपखण्ड अधिकारी अलवर मुकाम अलवर

जन्नी बनाम जैनी उर्फ चैनी वगै.

किस्म मुकदमा दावा 53, 188 रा0का0अधि0.....नं0 1/ /2023 सन् .....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.05.2023	वकील वादी ने मूल वाद पेश किया। दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब हो। दिनांक 13.06.2023 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अलवर	
19-5-23	पत्रावली वादी/वकील वादी के प्रार्थना-पत्र पर पूर्व निर्धारित तारीख पेशी से पूर्व तलब कीगई प्रा0पत्र में अंकित किया गया है कि सहखन, बहीखाता, अहलत वगैरा मेरे द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया है वह वाद को आगे नहीं चलाना चाहती है वह इसी स्टेज पर अपने अधिकार सुरक्षित रखते हुये वाद विड्रो किये जाने की अनुमति चाही है प्रा0पत्र पर प्रार्थी/वकील वादी को सुना गया, काफी समय करने के उपरान्त वादी एवं वकील वादी का प्रा0पत्र स्वीकार किया जाकर मूल वाद इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है पत्रावली नस्ती ले कार्य हेतु वाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर होवे। उपखण्ड अधिकारी अलवर	Idby Adv Rajat Ma[illegible]

Scanned with OKEN Scanner